Australian Government
Department of Home Affairs

माइग्रेंट कामगारों के शोषण के समाधान के लिए क़ानून को सुदृढ़ बनाना

सारांश

ऑस्ट्रेलियाई सरकार माइग्रेंट कामगार शोषण के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए क़ानून को सुदृढ़ बना रही है। संसद द्वारा स्वीकार किए गए ये सुधार, नियोक्ता अनुपालन तथा कामगार सुरक्षा-उपायों में सुधारों की एक व्यापक योजना का हिस्सा हैं।

नए क़ानून 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे और ये सीधे नियुक्तियाँ करने वाले नियोक्ताओं एवम् श्रमिक भर्ती एजेंसियों जैसे रोज़गार श्रृंखला के अन्य पक्षों, दोनों पर ही लागू होंगे। नियोक्ता अनुपालन वृद्धि अधिनियम (Strengthening Employer Compliance Act) के अंतर्गत किए गए ये उपाय:

- अस्थाई माइग्रेंट कामगारों की, कामगार शोषण से रक्षा करने के लिए क़ानूनों को सुदृढ़ बनाएँगे
- निवारण तथा उपचार दोनों का उपयोग करके नियोक्ता अनुपालन को बेहतर बनाएँगे
- यह सुनिश्चित करने में सहायता करेंगे कि क़ानून का पालन करने वाले नियोक्ताओं की तुलना में बेईमान प्रतिस्पर्धियों द्वारा कम पैसों में काम नहीं करवाया जाए।

उपाय

माइग्रेशन क़ानून के अंतर्गत किए गए प्रमुख उपायों में निम्नांकित शामिल हैं:

- कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का शोषण करने के लिए उसकी माइग्रेशन स्थिति का उपयोग करने पर नए दण्डात्मक अपराध तथा जुर्माने। इन अपराधों पर 2 वर्षों की जेल और/या 360 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $118,800) है के आपराधिक दण्ड, अथवा 240 पेनल्टी युनिट्स (जो कि वर्तमान में $79,200) है का दीवानी (सिविल) दण्ड मिलता है।
- एक नया निषेध उपाय - अस्थाई माइग्रेंट कामगारों के गंभीर, जानबूझकर या बारबार शोषण में संलग्न नियोक्ताओं पर, उल्लंघन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर एक निश्चित अवधि तक अन्य अस्थाई कामगारों को काम पर रखने की रोक लगा दी जाएगी। निषिद्ध नियोक्ताओं का नाम ऑस्ट्रेलियाई सीमा सुरक्षा बल (Australian Border Force की वेबसाइट पर सूची में शामिल कर दिया जाएगा और प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद उनके ऊपर अतिरिक्त रिपोर्ट करने की शर्त लागू होगी। यदि आप इस निषेध का उल्लंघन करते हैं, उदाहरण के लिए निषेध की अवधि के दौरान अन्य अस्थाई वीज़ा धारकों को काम पर रखकर, तो आपके ऊपर न्यायालय में मुक़दमा चलाया जा सकता है।
- नए साधन - अनुपालन के नोटिसों तथा प्रवर्तनीय (लागू करने योग्य) स्वीकृतियों में संलग्न होने के सामर्थ्य से, नियोक्ताओं को अपने उत्तरदायित्वों को समझने और बिना जुर्माने के (जहाँ उचित हो) इन्हें पूरा करने में सहायता मिलेगी।
- अस्थाई माइग्रेंट कामगारों को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर सुरक्षाएँ।

नियोक्ता के उत्तरदायित्व

यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी नियोक्ताओं की है कि अस्थाई वीज़ा धारकों के पास एक वैध वीज़ा है और वे अपने वीज़ा की काम करने से संबंधित शर्तों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। कामगारों के वीज़ा की शर्तों की जाँच वीज़ा अधिकार सत्यापन ऑनलाइन (Visa Entitlement Verification Online) पर करें।

उनके लिए न्यूनतम वेतन दरों, सुपरएनुएशन नियमों तथा स्वास्थ्य एवम् सुरक्षा शर्तों सहित सभी कार्यस्थल क़ानूनों का पालन करना आवश्यक है।

माइग्रेंट कामगारों के अधिकार	माइग्रेंट कामगार शोषण से संबंधित नए क़ानून	वीज़ा अधिकार सत्यापन ऑनलाइन	फेयर वर्क ऑम्बड्समन (Fair Work Ombudsman)